

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक प. 13(20)कार्मिक/क-2/91 पार्ट

जयपुर, दिनांक १६.१.२०२०

निर्देश

इस विभाग के समसंख्यक निर्देश दिनांक 21.5.13 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि राज्य के बारां ज़िले की समस्त तहसीलों में निवास करने वाली सहरिया आदिम जाति दुर्गम स्थानों पर निवास करती है। इन सहरिया परिवारों का आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक स्तर काफी पिछड़ा हुआ है। सहरिया परियोजना क्षेत्र में अधिकतर पद रिक्त रहते हैं। अतः बारां ज़िले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत और अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत एवं विशेष पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 1 प्रतिशत आरक्षण को कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 50 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

वर्तमान आरक्षण व्यवस्था के अनुसार राज्य सरकार के प्रचलित नियमों में अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अतः राज्य सरकार यह आदेश देती है कि बारां ज़िले की समस्त तहसीलों में राज्य सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां स्थानीय सहरिया आदिम जाति के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी और अनुसूचित जनजातियों के लिए 6 प्रतिशत, अनुसूचित जातियों के लिए 8 प्रतिशत, पिछड़ी वर्ग की जातियों के लिए 10 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत एवं आर्थिक कमज़ोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी। शेष 36 प्रतिशत रिक्तियां अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जायेगी।

रिक्तियों का अवधारण तथा पदों पर भर्ती निम्नलिखित प्रकार से की जायेगी:-

- 1- यदि भर्ती खण्ड स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा इनकी संगणना भी खण्ड स्तर पर हो वहां ऐसी समस्त रिक्तियों की 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां ज़िले की समस्त तहसीलों की स्थानीय सहरिया जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
- 2- यदि भर्ती ज़िला स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी ज़िला स्तर पर की जावे वहां 25 प्रतिशत रिक्तियां बारां ज़िले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।
- 3- यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो और रिक्तियों का अवधारण तथा उनकी संगणना भी राज्य स्तर पर की जावे तो बारां ज़िले की समस्त तहसीलों की कुल जनसंख्या एवं राज्य की कुल जनसंख्या के अनुपात के आधार पर रिक्तियां प्रकल्पित की जाकर उन रिक्तियों की 25

प्रतिशत रिक्तियां बारां जिले की समस्त तहसीलों के स्थानीय सहरिया आदिम जाति के लिए आरक्षित की जायेगी।

- 4- यदि भर्ती राज्य स्तर पर की जानी हो तो राज्य की शेष रिक्तियां विद्यमान नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों के लिए 16 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों के लिए 12 प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 21 प्रतिशत, अति पिछड़ा वर्ग की जातियों के लिए 5 प्रतिशत आरक्षण और आर्थिक कमज़ोर वर्ग के लिए 10 प्रतिशत की कानूनी अपेक्षाओं के अध्यधीन रहेगी।

राज्यपाल महोदय की आज्ञा से,

6/1
(जय सिंह)

उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1.. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
- 2.. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
- 3.. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4.. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- 5.. मंत्रिमण्डल सचिवालय को मंत्रिमण्डल आज्ञा सं 132/19 दिनांक 13.12.19 के क्रम में।
- 6.. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास, उदयपुर।
- 7.. उप शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग।
- 8.. समस्त संभागीय आयुक्त/विभागाध्यक्ष।

6/1
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को भी :-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
4. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, जयपुर।
5. पंजीयक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
6. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
7. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
8. रक्षित पत्रावली।

6/1
उप शासन सचिव

2/2020